Schelule XLII - High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the c <u>ourt</u>	Office notic taken with da
1	2	3	4
		न्यायालय–अपर न्यायायुक्त पंचम्, रांची।	
		ए.बी.पी. नंबर—175 / 2020	
		1. सुमित कुमार वर्मा, पिता—कमलेश वर्मा, निवासी— अग्रसेन भवन, लेक रोड, राधा मार्ग विष्णु अर्थे सेन्टर रांची।	
		2. विशाल कुमार उर्फ विशाल गुप्ता, पिता—वकील साह, निवासी—विकाश नगर, अरगोड़ा, पुनदाग, थाना—पुनदाग, जिला—रांची।	
		3. सूरज टोप्पो, पिता—दशरथ टोप्पो, निवासी—चेसायर होम रोड, बांध गाड़ी, दीपाटोली, थाना—बरियातु, जिला—रांची।	
		4. दानिश अख्तर, पिता—नईम अख्तर, निवासी—बरियातु, जमा मस्जिद बड़गांई, थाना—बरियातु, जिला—रांची।	
		5. टिन्कू कच्छप, पिता—गुजू कच्छप, निवासी—नियर लाइन तलाब गोपाल गंज चडरी, रांची।	
		बनाम	
	22.06.2020	झारखण्ड राज्य एवं अन्य	
		आवेदकगण की ओर से दं0 प्र0 सं0 की धारा 438 के तहत दाखिल अग्रिम जमानत	
		पर उभय पक्षों को वीडियों से कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है । केस डायरी की छाया प्रति	
		प्राप्त है।	
		अभियुक्तगण, श्री राजीव त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रांची के	
		न्यायालय में लंबित लालपुर थाना कांड संख्या 365 / 2019, अंतर्गत <u>धारा—</u> 147, 148, 149, 341,	
		323, 307, 379 भा0द0वि० का प्राथमिकी अभियुक्त है।	
		प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना संक्षेप यह है कि सूचक चन्दन कुमार राज का	
		छोटा भाई कृष्ण कुमार राज मारवाड़ी कॉलेज का तृतीय वर्ष का छात्र है। वह दिनांक 16.09.	
		2019 को जुनियर के फ्रेसर की पार्टी में गया था, कुछ लड़कों ने गाना बदलने के सिलसिले में	

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with da
		उसे मारा, तब वह उसे फोन से सूचित किया तो वह कडरू ब्रिज के पास गया, वहां भाई की	
	लगातार 22.06.2020	हालत गंभीर थी। उन लड़कों ने फिर उस पर और उसके भाई पर हमला किया । उसका फोन	
		और सोने का चेन इस बारदात में गायब हो गया। उन लड़कों में से कुछ लड़कों को वह	
		पहचाना जिनका नाम सुमित वर्मा, विशाल गुप्ता, सूरज टोप्पो, दानिश और तीन लड़के डिजे वाले	
		थे।	
		आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने, आवेदकगण की ओर से प्रविष्ट अग्रिम जमानत	
		आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में कोई जमानत	
		आवेदन, न तो इस न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है ।	
		आवेदकगण पूरी तरह से निर्दोष है, उन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है। आवेदकगण तृतीय	
		समेसटर के अपने अन्य दोस्तों के साथ दिनांक 16.09.2019 को फ्रेसर पार्टी का आयोजन किये	
		थे, जिसमें तृतीय वर्ष के छात्र और कृष्ण कुमार राज बिना किसी आमंत्रण के आये और पार्टी के	
		आयोजन में विघ्न डालने का प्रयास किये, जिसके चलते वहां कुछ छात्रों के बीच विवाद हुआ ।	
		विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि आवेदकगण पर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है।	
		आवेदकगण मारवाड़ी कॉलेज के छात्र है और उभय पक्षों में आपस में सुलह हो गया है और	
		सुलह के अनुसार आवेदकगण 30,000 / रुपये सूचक को भुगतान किये है। अब उभय पक्षों में	
		कोई विवाद नहीं है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को मानने और न्यायालय	
		की संतुष्टि के लिए उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत	
		पर मुक्त किया जाय।	
		दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आवेदकगण के अग्रिम जमानत	
		का विरोध किया लेकिन सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध नहीं किया और	
		उभय पक्षों के मध्य सुलह की बात को स्वीकार किया।	
		केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि सूचक ने अपने पुनर्बयान में प्राथमिकी का	
		समर्थन करते हुए यह कहा है कि घटना की शाम होटल रेन्डीव में मारवाड़ी कॉलेज के जुनियर	
		की फ्रेसर पार्टी थी। जहां पर डिजे गाना बज रहा था। सूचक का भाई कृष्ण कुमार राज गाना	
		बदलने को कहा तो डिजे वाले टिन्कू कच्छप, सुमित वर्मा, विशाल कुमार, सूरज टोप्पो, दानिश	
		अख्तर ने मिलकर उसके साथ धक्का—मुक्की और लप्पड़—थप्पड़ किया, तब भाई के फोन करने	
		पर वह वहां पहुंचा और उन लड़कों से पूछताछ करने लगा। इस पर उन लड़कों ने लोहे की	

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notion
	लगातार	रड से उसके सिर पर वार कर दिया। केस डायरी के पैरा–9 में साक्षी ने कहा है कि उक्त	
	22.06.2020	लड़के बेल्ट और हेलमेट से सूचक के साथ मारपीट किया। केस डायरी के साथ सूचक के जांच	
		का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है। जिसमें सूचक के सर पर एक साधारण जख्म होने की बात	
		आयी है।	
		वाद के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियां तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते	
		हुए मैं इस राय का हूं कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आधार पर्याप्त है।	
		तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त आवेदक सुमित कुमार वर्मा उर्फ सुमित वर्मा, विशाल कुमार उर्फ	
		विशाल गुप्ता, सूरज टोप्पो, दानिश अख्तर, टिन्कू कच्छप को गिरफ्तार किये जाने पर या पंद्रह	
		दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर दं०प्र०सं० की धारा 438(2)	
		में वर्णित शर्तों के तहत दस–दस हजार रुपये की जमानत तथा समान राशि का एक प्रतिभू	
		सहित जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।	
		लेखापित लेखापित	
		ਵ0 ∕ −	
		(मार्तण्ड प्रताप मिश्रा)	
		अपर न्यायायुक्त—पंचम्,	
		रांची।	

ए.बी.पी. नंबर-175 /2020 CNR JHRN0 10008522020 4

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with da